

भारत सरकार
जनजातीय कार्य मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2434
उत्तर देने की तारीख- 13.03.2025

जनजातियों के लिए कृषि और डेयरी संबंधी प्रायोगिक परियोजना

2434. श्रीमती अनीता शुभदर्शिनी :

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) : क्या सरकार ने जनजातियों की आत्मनिर्भरता और सतत् आजीविका के लिए कृषि और डेयरी फार्मिंग से संबंधित कोई प्रायोगिक परियोजना शुरू की है और यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) : क्या देश में क्लस्टर जनजातीय आदर्श गांवों (सीटीएमवी) और दुग्ध ग्राम पहल (एमवीआई) की अच्छी प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा वर्ष 2025-26 के दौरान देश में बनाए जाने वाले नए सीटीएमवी की राज्यवार संख्या कितनी है?

उत्तर

जनजातीय कार्य राज्यमंत्री

(श्री दुर्गादास उइके)

(क) : जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार ने कृषि और डेयरी फार्मिंग पर विशेष रूप से कोई पायलट परियोजना शुरू नहीं की है, परन्तु देश भर में जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के माध्यम से "प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन" (पीएमजेवीएम) योजना को लागू कर रहा है। इस योजना के अंतर्गत, जनजातीय उत्पादों/उपजों के विकास और विपणन के लिए संस्थागत सहायता, जनजातीय कारीगरों का पैनल बनाना और उनसे कृषि और डेयरी उत्पादों सहित विभिन्न जनजातीय उत्पादों की खरीद, जनजातीय समुदायों के लिए आजीविका के अवसर पैदा करने की मुख्य गतिविधियां हैं।

(ख) : 2020-21 तक, जनजातीय उप-योजना (टीएसपी) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) / जनजातीय उप-स्कीम (टीएसएस) के लिए विशेष केंद्रीय सहायता (एससीए) की एक योजना थी, जिसमें क्लस्टरों के विकास के लिए निधियां उपलब्ध कराई जाती थीं अर्थात ऐसे क्षेत्र में 5000 या उससे अधिक की कुल आबादी में लगभग 50% या उससे अधिक जनजातियों की सघनता वाले गांवों के पॉकेट। हालाँकि, उक्त योजना को 2021-22 में प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना (पीएमएएजीवाई) में नवस्वरूपित कर दिया गया, जिसमें गांवों के समूहों की अवधारणा को आदर्श ग्रामों के विकास में बदल दिया गया।

राष्ट्रीय गोकुल मिशन को पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा सभी राज्यों में देशी गोजातीय नस्लों के विकास एवं संरक्षण, गोजातीय आबादी के आनुवंशिक उन्नयन तथा गोजातीय पशुओं के दूध उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि के लिए क्रियान्वित किया जा रहा है। इस योजना का लाभ जनजातीय समुदाय के डेयरी किसानों सहित सभी डेयरी किसानों को मिल रहा है।